न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2021/16

1. रामावतार
2. ओमप्रकाश
3. रामबाबू
4. रमेश पुत्रान स्व0 श्री गंगासहाय जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम मानसर खेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. राधामोहन
2. कैलाश
3. सुरेशचन्द
4. सीताराम उर्फ सियाराम
5. राजेन्द्र उर्फ राजेश कुमार पुत्रान स्व0 श्री रामधन उर्फ शंकरलाल
6. भगवती पत्नि स्व0 श्री रामधन उर्फ शंकरलाल
7. सीमादेवी बेवा सत्यनारायण
8. वर्षा उम्र 17 वर्ष
9. प्रीति उम्र 15 वर्ष
10. लक्ष्मी उम्र 13 वर्ष
11. भावना उम्र 11 वर्ष पुत्रियान स्व0 श्री सत्यनारायण नाबालिग जरिये माता संरक्षिका सीमा देवी बेवा स्व0 श्री सत्यनारायण शर्मा
    समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम मानसर खेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.07.2019 बअदालत उपखण्ड अधिकारी, बस्सी जिला जयपुर मिसल 86/2018 उनवानी राधामोहन बनाम सरकार व अन्य।

उपस्थित–

1. श्री राजेश कुमार शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री सुरेश शर्मा रेस्पोडेन्टनं. 1 लगायत 11 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–30.01.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 18.07.2019 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धाराः 5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मानसर खेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 192 रकबा 0.02 बीस्वा, खसरा नं. 193 रकबा 5 बीघा 17 बीस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 19 बीस्वा का रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 11 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के समक्ष

समागीय आयुक्त
जयपुर

प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी किय जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार बस्सी को टीम गठित कर नियमानुसार पत्थरगढी किये जान का आदेश दिनांक 18.07.2019 को दिया।

3. उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 18.07.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री रामावतार पुत्र स्व0 श्री गंगा सहाय द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर दिनांक 18.07.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम मानसर खेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 192 रकबा 0.02 बीस्वा, खसरा नं. 193 रकबा 5 बीघा 17 बीस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 19 बीस्वा का पूर्व में सीमाज्ञान दिनांक 14.07.2010 के आधार पर पत्थरगढी का आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.05.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प मानसर खेडी में खारिज फरमा दिया गया था उसके बाबजूद रेस्पोडेण्टस ने पूर्व में पारित निर्णय को छिपाते हुये विधि विपरित नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तहसीलदार की रिपोर्ट तलब किये दिनांक 18.07.2019 को आवेदन स्वीकार कर पत्थरगढी करने के आदेश दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की विधिवत तामिल नहीं कराई गई है एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है तो उस निर्णय के विरूद्व अपील करनी चाहिए थी ना कि उसी सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है एवं बिना जॉच किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधि सम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर दिनांक 18.07.2019 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम मानसर खेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 192 रकबा 0.02 बीस्वा, खसरा नं. 193 रकबा 5 बीघा 17 बीस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 19 बीस्वा भूमि के प्राथीगण एकमात्र काश्तकार खातेदार है एवं काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है जिसका अपीलांट की खातेदारी की भूमि से कोई लेना देना नहीं है। उक्त भूमियों की सुरक्षार्थ, पुख्ता सींव एवं तारबंदी करने हेतु प्रार्थी द्वारा विधिवत तहसीलदार बस्सी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार के सीमाज्ञान दिनांक 14.07.2010 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी का आवेदन किया गया जिस पर लगातार अपीलांट्स द्वारा आपत्ति की जा रही थी। तंहसीलदार के आदेशानुसार जॉच पश्चात पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। फिर भी अपीलांट ने बेदखल करने की नियत से सींव को खुर्दबुर्द कर रहे हैं जबकि प्रार्थी ने नियमानुसार ही अपनी खातेदारी भूमि की विधिक अधिकारों के तहत् पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित जॉच व रिकॉर्ड के अवलोकन पश्चात् पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी उचित एवं विधि सम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार बस्सी की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट के खातेदारी की भूमि है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर उचित एवं विधि सम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट ने कथन किया है ग्राम मानसर खेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 192 एवं खसरा नं. 193 विवादित भूमि का पूर्व में दिनांक 14.07.2010 को सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 26.5.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प मानसर खेडी में खारिज फरमा दिया गया था एवं पुनः उसी सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक नया प्रार्थना पत्र धारा 128 पर पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित कर दिये गये। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार बस्सी के निर्णय दिनांक 26.05.2017 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर की सीमाऐं अस्पष्ट होने से पत्थरगढी किया जाना संभव नहीं है। उसके बाबजूद उसी सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पुनः पत्थरगढी के आदेश दिया जाना विधिसम्मत् नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर दिनांक 18.07.2019 निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।